06.12.2022

पत्रावली पेश हुई। वादीगण/वादी अभिभाषक अनुपस्थित। जीए उपस्थित। राजकीय पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि दिनांक 04.06.20213 को पत्रावली में तनकीयात कायम की जाकर वादी साक्ष्य हेतु दिनांक 16.07.2013 नियत की गई। तत्पश्चात् दिनांक 13.09.2013, 10.03.2014,16.09.2014,24.07.2017, 09.10.2018 को समय दिये जाने के उपरांत भी वादी द्वारा वादी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। अतः वादी का वाद अदम पालना में खारिज करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें राजकीय पैरोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होती है, जिसमें पत्रावली में दिनांक 04.06.2013 को तनकीयात कायम कर वादी साक्ष्य हेतु नियत की गई। तत्पश्चात् दिनांक 13.09.2013, 10.03.2014,16.09.2014,24.07.2017, 09.10.2018 को अवसर दिये जाने के उपरांत भी वादीगण/वकील वादीगण द्वारा वादी साक्ष्य द्वारा प्रस्तुत नहीं दी गई, जिससे प्रतीत होता है कि वादी गण अपने हक अधिकार के प्रति सजग नहीं रहता है, तो न्यायालय किसी भी प्रकार से सहायता प्रदान नहीं कर सकता।

अतः वादीगण/वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अदम पालना/गैर हाजिर होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(भरत राज गुर्जर)
सहायक कलक्टर(मु.),अजमेर

Scanned with OKEN Scanner